रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1810] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934
No. 1810] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2012

का.आ. 2171(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्याक का.आ. 196 (अ), तारीख 6 मार्च , 2000 और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ.1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर 2001 और अधिसूचना संख्याक का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल 2002 द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के क्रमशः 447.000 कि.मी से 464.000 कि.मी, 464.000 कि.मी से 474.000 कि.मी. , 175.640 कि.मी. से 447.000 कि.मी. और 474.000 कि.मी. से 480.000 कि.मी. तक (नागपुर - हैदराबाद सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर 368.255 कि.मी. से 471.331 कि.मी. (अदलूर येलारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली सेक्शन) तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, शुद्व सड़क खंड की लम्बाई 67.215 कि.मी. के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) के विनिर्दिष्ट आधार दर पर फीस (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है)और ऐसे बाइपास जो दस करोड़

रुपए अथवा अधिक लागत से निर्मित हो विनिर्दिष्ट फीस का डेढ़ गुना होगी , उद्ग्रहीत करती है, और प्राधिकरण को अपने पदधारियों के माध्यम से अथवा ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस का संग्रह करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.या.) (चार से छह धुरी)	3.45
अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :

1. नीचे ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की शुद्ध लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर उद्गृहीत तथा संग्रहीत फीस शोध्य और संदेय होगी :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है**
443.713 कि.मी (मेदक जिले में , मनोहराबाद गांव के पास,)	67.215

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए, जिनकी लागत दस करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, फीस ऐसे टोल प्लाजा पर विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगी ।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**बाइपास की लम्बाई(कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**
443.713 कि.मी (मेदक जिले में ,मनोहराबाद गांव के पास,)	कामारेड्डी बाईपास , 13.100 कि.मी
	भिकनूर बाईपास , 3.840 कि.मी.
	रामायमपेट बाईपास , 5.590 कि.मी.
	छिगुनता बाईपास , 6.717 कि.मी.
	तोपरन बाईपास , 6.614 कि.मी.

IndiaCode

3. वर्ष 2012-13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के हेतु मासिक पास की दर 200.00(दो सौ रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा अर्थात्

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5 .जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है उस जिले में रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस प्रवर्ग के यान के लिए विहित दर का 50 प्रतिशत होगी परंतु यह कि ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर फीस का संदाय करना होगा जो उनसे अगले उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और वे तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

7. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को संप्रदर्शित किया जाएगा ।

9.उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, फीस की दरे वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाएंगी ।

10. परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 675.00 करोड़ रूपए है । प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से वसूल फीस के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद उद्ग्रहणीय फीस की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनका वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/458/08-09/सीओ/जीसी हैदराबाद (368-471)]

नन्दन सिंह, उप सचिव

पाद टिप्पण : यह भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 874(अ), तारीख 27 मार्च, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2012

S.O. 2171(E).—Whereas, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 196 (E) dated 6th March, 2000 and Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E) dated 3rd December, 2001 and S.O 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km 447.000 to Km 464.000, Km 464.000 to Km 474.000, Km 175.640 to Km 447.000 and Km 474.000 to Km 480.000 (Nagpur to Hyderabad Section) respectively of National Highway No. 7, in the State of Andhra Pradesh, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 67.215 kilometer (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane section and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 368.255 to Km 471.331, (Adloor Yellareddy to Gundla Pochampally Section) on the National Highway No. 7 in the State of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-2008 (in Rs.)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. at 443.713 (near Village Manoharabad in Medak District)	67.215

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km/Ch. at 443.713 (near Village Manoharabad in Medak District)	Kamareddy bypass of 13.100 kilometers
	Bhiknoor bypass of 3.840 kilometers
	Ramayampet bypass of 5.590 kilometers
	Chegunta bypass of 6.717 kilometers
	Toopran bypass of 6.614 kilometers

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 675.00 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/458/08-09/CO/GC Hyderabad (368-471)]

NANDAN SINGH, Dy. Secy.

Foot note : This is in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 874(E), dated the 27th March, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

3468 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.